

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4305
22 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात के मूल्य में वृद्धि का विश्लेषण

4305. श्री दयानिधि मारन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा इस्पात के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/ किए जा रहे हैं;
- (ख) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग में बढ़ती कीमतों, जिनसे पूंजीगत व्यय संबंधी पूर्वानुमान प्रभावित होते हैं, के प्रभाव से संबंधित कोई विश्लेषण किया है अथवा कोई रिपोर्ट तैयार की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग पर कोविड-19 वैश्विक महामारी और इसके परिणामस्वरूप लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव संबंधी कोई विश्लेषण किया है/रिपोर्ट तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, जहाँ मूल्य माँग एवं आपूर्ति, वैश्विक बाजार की स्थिति, कच्चे माल के मूल्यों के रुझानों, लॉजिस्टिक लागत, बिजली और ईंधन लागत आदि से निर्धारित होते हैं। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. इस्पात उत्पादन में वृद्धि:-

कोविड-19 के कारण अप्रैल से जुलाई, 2020 के दौरान उत्पादन में विगत वर्ष की समान अवधि (सीपीएलवाय) के दौरान 35.16 एमटी की तुलना में 22.17 एमटी की गिरावट के पश्चात् अगस्त, 2020 से फरवरी, 2021 के दौरान उत्पादन विगत वर्ष की समान अवधि के दौरान 60.27 एमटी की तुलना में बढ़कर 63.26 एमटी हो गया है।

2. लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि:-

- (i) एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा नियोजित उत्पादन को 32 एमटी (2019-20) से बढ़ाकर 35 एमटी (2020-21) किया जाना।
- (ii) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) को मौजूदा पट्टों से 2.0 एमटी तक लौह अयस्क की बिक्री की अनुमति दी गई है।
- (iii) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को 25% फ्रेश फाइंस तथा 70 मिलियन टन डंप को बेचने की अनुमति दी है जिनमें से करीब 4.0 एमटी 2020-21 के दौरान खुले बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है।

(iv) ओडिशा में गुआली और जिल्लिंग लंगलोटा लौह अयस्क खदानों को राज्य पीएसयू अर्थात मैसर्स ओएमसी के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए आरक्षित किया गया है। ओडिशा सरकार ने एनएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में तेहराई लौह अयस्क खदान ब्लॉकों को आरक्षित करने की संस्तुति की है।

(v) ओडिशा और कर्नाटक में नीलामी पश्च लौह अयस्क खानों के समाप्त हुए पट्टों का प्रचालन।

3. बीसीडी में कमी तथा व्यापार सुधारात्मक उपायों का निरसन:-

केन्द्रीय बजट 2021-22 में, मूल सीमा-शुल्क (बीसीडी) को, नॉन अलॉय, अलॉय तथा स्टेनलेस स्टील के सेमिज, फ्लैट तथा लंबे उत्पादों पर कम करके समान रूप से 7.5% कर दिया गया है। इस्पात स्क्रैप पर बीसीडी में 31 मार्च, 2022 तक की अवधि तक के लिए छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, कुछ इस्पात उत्पादों पर एडीडी तथा सीवीडी को भी निरस्त/अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है।

(ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम प्राक्कलन, 2020-21 और 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही प्राक्कलन से यह इंगित होता है कि 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान 11,93,993 करोड़ रुपये पर सकल नियत पूँजी निर्माण (जीएफसीएफ) विगत वर्ष की समान अवधि के दौरान 11,64,138 करोड़ रुपये के जीएफसीएफ से 2.56% अधिक था। साथ ही, जीएफसीएफ में चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान हर उत्तरोत्तर तिमाही में वृद्धि हुई है।

(ग): कोविड-19 वैश्विक महामारी और उसके कारण लॉकडाउन उपायों के चलते, आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक, मानव संसाधन, कच्चे माल और सक्रिय पूँजी की उपलब्धता आदि में बाधा आई थी, जिसके कारण अप्रैल-जुलाई, 2020 की अवधि में इस्पात के उत्पादन के साथ-साथ खपत में तेजी से गिरावट आई। सरकार द्वारा किए गए क्रमिक अनलॉकिंग उपायों से इस्पात के उत्पादन और खपत में तब से सुधार आया है और हाल के महीनों के दौरान विगत वर्ष के स्तरों को भी पार कर लिया है। अप्रैल-जुलाई, 2020 और अगस्त, 2020-फरवरी, 2021 के दौरान इस्पात के उत्पादन और खपत का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(मिलियन टन में)

	अप्रैल-जुलाई, 2019	अप्रैल-जुलाई, 2020
उत्पादन	35.15	22.16
खपत	33.34	19.92

(मिलियन टन में)

	अगस्त, 2019 - फरवरी, 2020	अगस्त, 2020 - फरवरी, 2021
उत्पादन	60.26	63.27
खपत	60.61	64.16
